राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 322/2014/जयपुर.
2. अपील संख्या – 323/2014/जयपुर.
3. अपील संख्या – 324/2014/जयपुर.
4. अपील संख्या – 325/2014/जयपुर.
5. अपील संख्या – 326/2014/जयपुर.

मैसर्स सालासर सेल्स कॉर्पोरेशन,
बगरूवालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर.
2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर जोन–तृतीय, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त पांच अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 368, 369, 370, 371 व 372/अपील्स–III/आरवीएटी/एफ/जयपुर/2012–13 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 05.02.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 12.06.2012 को किया जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा0 लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पाद यथा मेंटोज ओरेंज फ्लेवर, मेंटोज लाईम, मेंटोज मिंट, मेंटोज मार्बल्स, मेंटोज मार्बल्स लेक्रीम, मेंटोज स्ट्रॉबेरी, मेंटोज सोर मार्बल्स, एलपेनलिबे क्रीम स्ट्रॉबेरी, एलपेनलिबे प्लेन कॉफी, एलपेनलिबे क्रीम बनाना, एलपेनलिबे मेंगोफिल्ज़, एलपेनलिबे क्रीमफिल्स, एलपेनलिबे क्रीमफिल्स कॉफी, क्रीमफिल्स एक्स्ट्रा मेंगो, क्लोरमिंट हर्बासोल, फ्रूटेला, एलपेनलिबे लॉलीपॉप, मार्बल्स लेक्रीम्स आदि, जो कि वेट अधिनियम की अनुसूची–V के अनुसार कर योग्य उत्पाद हैं, का विक्रय अनुसूची–IV के

लगातार.....2

24/10/17

अनुसार 4/5 प्रतिशत कर वसूल करते हुए किया गया है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25/26, 55 व 61 के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.02.2013 को पारित करते हुए तद्नुसार 8.5/9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, अनुवर्ती ब्याज एवं करापवंचन की मंशा के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2014 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि की गयी, जबकि वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विक्रेता व्यवहारी मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा0 लि0 के प्रकरणों में प्रस्तुत **एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन नं0 473/2011 से 476/2011 में दिनांक 17.02.2017** को निर्णय पारित करते हुए विवादित वस्तुओं पर अनुसूची–V के अनुसार कर दर होना अभिनिर्धारित करते हुए आरोपित किये गये अन्तर कर एवं ब्याज की पुष्टि की गयी है, साथ ही वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अविधिक निर्णीत किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित उत्पादों के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिये जाने के उपरान्त हस्तगत प्रकरणों में तद्नुसार निर्णय पारित किये जाने का कथन किया।

5. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2017 के अनुसार निर्णय पारित किये जाने का कथन किया।

6. हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हाल में निर्णय दिनांक 17.02.2017 पारित करते हुए अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि विवादित माल पर वेट अधिनियम की अनुसूची–V के अनुसार कर देयता बनती है ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 8.5/9 प्रतिशत की दर से आरोपित अन्तर कर एवं अनुवर्ती ब्याज का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस

24/10/17

लगातार.....3

सीमा तक कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 61 की शास्ति अपास्त किये जाने में भी कोई त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय दिनांक 17.02.2017 के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

24/10/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य